भारत INDIA FIVE RUPEES पाँच रुपये

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

/भू–राजस्व/अभ्यावेदन/सीहोर/2018/

विविध 0339/2019/सीहोर/भू०रा०

श्रीमती सीताबाई पत्नि स्व0श्री हेमराज
निवासी–ग्राम बायां, तह0–रेहटी,
हाल मुकाम–जेपी मार्केट नसरुल्लागंज,
जिला–सीहोर (म0प्र0) **––आवेदक/अभ्यावेदक**

विरूद्व

श्रीमती प्रमिलाबाई
पत्नि श्री ध्रुवनारायण मिश्रा
कृषक ग्राम–वीवदा,
निवासी–पटवारी कॉलोनी, महेद्रा ट्रेक्टर
शोरूम गली, बावई रोड, होशंगाबाद,
होशंगाबाद (म0प्र0) ––– **प्रत्यर्थी**

दिनांक 20/12/18 को अधि. श्री मेहरबान सिंह के द्वारा कैम्प भोपाल पर प्रस्तुत 20/12/18.

अभ्यावेदन अंतर्गत धारा–8 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

अभ्यावेदन श्रीमान आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्र0क0–62/अपील/17–18 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2018 जिसके द्वारा अ0वि0अ0 महोदय, बुधनी द्वारा प्र0क0–33/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 23.10.17 एवं तहसीलदार महोदय रेहटी के प्र0क0–3/अ–70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2015 स्थिर रखा, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर निम्नानुसार अभ्यावेदन/आवेदन समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी ने अपनी कृषि भूमि खसरा क0–56 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से प्र0क0–30/अ–12/13–14 दर्ज होकर तथाकथित अवैध सीमांकन दिनांक 19.05.2014 के आधार पर विचारण न्यायालय में धारा–250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अभ्यावेदक को न तो सीमांकन प्रकरण और न ही धारा–250 के प्रकरण में विधिवत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-339/2019/सीहोर/Rev.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-3-2019	आवेदक की ओर से श्री मेहरवान सिंह, अभिभाषक अनुपस्थित । प्रकरण का ग्राहयता के बिन्दु पर अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 8 के अन्तर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 8 के अंतर्गत मंडल को प्रशासकीय नियंत्रण की शक्तियां दी गई । इस धारा का उपयोग न्यायिक शक्तियों के लिए नहीं किया जा सकता है, जबकि अभ्यावेदन के माध्यम से न्यायिक विचारण के बिन्दु उठाए गए हैं। अत: यह अभ्यावेदन अमान्य किया जाता है । अध्यक्ष	